विज्ञप्ति

निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या : म0भो0प्रा0/14235–14452/ 2007–08 दिनांक 15.11.2007 द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में मध्यान्ह भोजन कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु अस्थाई रूप से 1 वर्ष के लिए संविदा पर जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) के पद पर किये जाने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2026 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। पंजीकृत माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	रिक्त पद का नाम	पद की संख्या	आयु (01.01.2026)	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	मनदेय
1.	जिला समन्वयक (एम0डी0एम0)	01	25 से 40 वर्ष	एम0बी0ए0	प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन0जी0ओ0/सामाजिक संस्थान में किये गये कार्य का अनुभव	रू0 29282 प्रति माह

शैक्षिक योग्यता –

1. प्रथम वरीयता – एम0बी0ए0 उपाधिधारी।
2. द्वितीय वरीयता – कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था/एन0जी0ओ0/सामाजिक संस्था में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव।
3. तृतीय वरीयता – कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था/एन0जी0ओ0/सामाजिक संस्था में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।
4. आवेदक को कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
5. समन्वयक के अनुभव के संबंध में ऐसे प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एन0जी0ओ0/सामाजिक संस्थान में किये गये कार्य का अनुभव ही मान्य होगा, जिन्हें राज्य/केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ हो, परन्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एन0जी0ओ0 राज्य/केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के इस प्रतिबन्ध से मुक्त होगें।

आयु – आयु की गणना 01.01.2026 से की जायेगी, जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के सदस्यों को आयु सीमा में शासन द्वारा अनुमन्य सीमा तक छूट होगी।

सामान्य निर्देश –

1. आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रतियां संलग्न होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे जिनमें प्रत्येक पर रू0 50–50 का डाक टिकट लगा हो, संलग्न होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।
4. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर एवं फोटो के बिना आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. साक्षात्कार के समय समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
8. उपरोक्त पद संविदा पर एक वर्ष के लिए होगें। कार्य एवं व्यवहार ठीक पाये जाने पर विस्तार किया जा सकता है।
9. सेवायें संतोषजनक न होने पर सेवा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर

पत्रांकः मध्यान्ह भोजन/विज्ञप्ति/ 0537-41 /2025–26 दिनांक 24/01/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, बलरामपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को https://balrampur.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम सरकारी दर पर अपने आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय प्रति।

(शुभम शुक्ला)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर में जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन – पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नाम ....
   (अग्रेंजी के बड़े अक्षरों में) ....
2. जन्म तिथि ....
   आयु (दिनांक 01.01.2026 को) ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. माता का नाम ....
5. जाति (सामान्य/अन्य पिछड़ा जाति/अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति) ....
6. आवेदक का पूरा पता (स्थायी) ....
7. पत्राचार का पता ....
8. मोबाइल नम्बर .... ई0मेल आईडी..............................
9. विवाहित/अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा ....
10. शैक्षिक योग्यता ....

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. अनुभव ....
    (यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. अन्य विवरण ....

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथित करती/करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। चयन से पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई तथ्य असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

मेरा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर भी मेरा संविदा के चयन को यदि निरस्त कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में, मैं किसी भी मा0 उच्च न्यायालय में वाद आदि दायर नही करूंगी/करूंगा।

संलग्नक –

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)